

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019 (फाल्गुन 1, 1940)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2017-2018 एवं मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री प्रदीप जायसवाल, खनिज साधन मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार -

(i) जिला खनिज प्रतिष्ठान झाबुआ, अलीराजपुर, सागर, बैतूल, बालाघाट, जबलपुर, नीमच, पन्ना, छिन्दवाड़ा, दमोह, शहडोल एवं धार के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,

(ii) जिला खनिज प्रतिष्ठान रीवा एवं अलीराजपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल लिमिटेड) की 56 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2017-2018, पटल पर रखेंगे.

(5) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 एवं 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13-2018-सात-शा.7, दिनांक 28 जनवरी 2019 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री -

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2017-2018 के अंकेक्षित लेखे,

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की :-

(i) अधिसूचना क्रमांक 1030-म.प्र.वि.नि.आ-2018, दिनांक 17 जुलाई, 2018 एवं

(ii) अधिसूचना क्रमांक 1052-म.प्र.वि.नि.आ.-2018, दिनांक 20 जुलाई, 2018, तथा

(घ) कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एम.पी. पावर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017, पटल पर रखेंगे.

(8) श्री सुखदेव पांसे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(9) श्री हर्ष यादव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(10) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, दि स्टेट फायनेंशियल कापोरेशन एक्ट, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 63 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

3. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

4. सभापति तालिका की घोषणा.

5. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ड के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन.

श्री ओमकार सिंह मरकाम, जनजातीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2019-2020 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों."

7. वर्ष 2018-2019 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, वर्ष 2018-2019 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

8. वर्ष 2004-2005 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, वर्ष 2004-2005 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

9. वर्ष 2019-2020 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, वर्ष 2019-2020 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन करेंगे.

10. वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन करेंगे.

11. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा एवं होशंगाबाद जिला सहकारी बैंक द्वारा कृषकों के नाम पर फर्जी ऋण निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री हर्ष विजय गेहलोत, सदस्य, मंदसौर में गोली चालन के आरोपियों पर प्रकरण दर्ज न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील अंतर्गत अवैध उत्खनन के प्रकरण में अर्थदण्ड की वसूली न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री संजय यादव, सदस्य, प्रदेश में रेत खदानों में पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थानीय समितियों का गठन न किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री पी.सी. शर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, मध्यप्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री कमलेश्वर पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 8 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

13. वर्ष 2018-2019 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 27, 47, 48 तथा 51 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर बहत्तर करोड़, तीन हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.”

14. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2019 (क्रमांक 6 सन् 2019) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15. वर्ष 2004-2005 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे-

“दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 6, 19, 24, 30, 59, 66, 67, 78, 84, 86, 92 एवं 94 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदया को तिरासी करोड़, उनसठ लाख, बानवे हजार, दो सौ चौहत्तर रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाये.”

16. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) का **पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

17. वर्ष 2019-2020 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा.

18. वर्ष 2019-2020 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2019-2020 के एक भाग अर्थात प्रथम चार माह तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को राज्य की संचित निधि में से कुल सतहत्तर हजार एक सौ छियासी करोड़, तेइस लाख, चौहत्तर हजार रुपये की धन राशि जो पृथकतः वितरित लेखानुदान की मांगों के स्तंभ 6 में दी गई राशियां विनियोगों की अनुसूची के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिये सम्मिलित हैं, लेखानुदान के रूप में दी जावें.”

19. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 (क्रमांक 7 सन् 2019) का पुर:स्थापन *** करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

20. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

प्रदेश में फसलों को पाले से हुए नुकसान के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कृषकों को सर्वेवार मुआवजा तथा फसलों का उचित मूल्य व भावांतर भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शिवराज सिंह चौहान, डॉ. नरोत्तम मिश्र तथा श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :

दिनांक : 19 फरवरी, 2019

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

* अनुपूरक अनुमान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.

** आधिक्य व्यय की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.

*** लेखानुदान संबंधी मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.